राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (N-170) अलेसे– I / 1154 दिनांकः– 20/08/2020

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 20/2019–20 दिनांक 25.02.2020 (क्रम संख्या 02) के द्वारा श्री नन्दलाल व्यास, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के सेवानिवृति आदेश जारी किये गये थे, तत्समय श्री व्यास के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम 1958 के नियम 16 में जांच एवं एस.सी./एस.टी. एक्ट में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण ''जांच बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र'' जारी नहीं किया गया था।

विभागीय आदेश क्रमांक 890–895 दिनांक 17.07.2020 के द्वारा श्री व्यास के विरूद्ध विचाराधीन जांच कार्रवाई को समाप्त कर दिये जाने तथा एस.सी./एस.टी. प्रकरण संख्या 156/2017 में F.R. लगने के फलस्वरूप वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्यास के विरूद्धः–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम– 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क) (N-170) अलेसे– I / 1154 दिनांकः– 20/08/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।
3. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राज. जयपुर
4. कोषाधिकारी (ग्रामीण) जोधपुर।
5. श्री नन्दलाल व्यास, सेवानिवृत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I द्वारा कोषाधिकारी, (ग्रामीण) जोधपुर।
6. निजी सचिव निदेशक महोदय।
7. उप निदेशक, एसीपी (कम्प्यूटर शाखा) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी पत्रावली/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/गार्ड फाइल।

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– I)